

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०सं०

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अररिया।

पटना, दिनांक—

विषय:— विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेंगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रु० 25,000/- के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/एफ०आई०आर०
1	अररिया	BH_ARARI_2024_109942	ABDUL SAFI	29.05.2024	305/2024
2		BH_ARARI_2024_110663	MD FIROJ ALAM	19.10.2024	156/2024
3		BH_ARARI_2025_111145	RAIYYAN	29.01.2025	37/2025
4		BH_ARARI_2025_111151	RAVI KUMAR	21.03.2025	38/2025
5		BH_ARARI_2025_111284	SHADAB	17.04.2025	168/2025
6		BH_ARARI_2025_111285	ABU BAKAR	17.04.2025	168/2025
7		BH_ARARI_2025_111286	SHIVAM KUMAR	05.05.2025	164/2025
8		BH_ARARI_2023_108510	MD SALMAN	06.05.2023	394/2023
9		BH_ARARI_2023_108864	MD TAUFEEK HUSSAIN	13.06.2023	156/2023
10		BH_ARARI_2023_108865	MD SAMEER HUSSAIN	13.06.2023	156/2023
11		BH_ARARI_2023_108868	SAMAN ANSARI	13.06.2023	156/2023
12		BH_ARARI_2023_108324	SAHZAD	16.03.2023	244/2023
13		BH_ARARI_2023_108507	SAFIQ	02.05.2023	429/2023
14		BH_ARARI_2023_108509	SALMAN	02.05.2023	429/2023

15	अररिया	BH_ARARI_2023_108429	MD NURUL	27.04.2023	124/2023
16		BH_ARARI_2023_108874	MD UMER	12.06.2023	591/2023

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया,	36339811146	SBIN0000009	16	16@25000	4,00,000/-	पत्रांक-758 दिनांक-17.09.2026
कुल				16	16@25000	4,00,000/- (चार लाख)	

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निर्देश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०..... 5705

पटना, दिनांक- 23/9/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 24/9/26
श्रमायुक्त, बिहार